संख्या– 69 /VI-1/2004–10 युवा0/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक 7 अगस्त ,2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–2005 में प्राविधानिक धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–29/यु0क0/2004–10 युवा0/2003 दिनांक 17 अप्रैल, 2004, एवं आपके पत्रांक–426/दो–910/2004–2005 दिनांक 31 जुलाई, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अवचनबद्व मदो के आयोजनेत्तर पक्ष में पूर्व में लेखानुदान द्वारा आवंटित धनराशि के अतिरिक्त रू0 35,91,000.00रूपये (रूपये पैतीस लाख इक्कान्नबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नविवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	मानक मद	आवटित धनराशि (हजार रूपये में)
1–	04–यात्रा व्यय	9.17
2–	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67
3–	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	133
4–	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	7
5–	18–प्रकाशन	33
6–	19–विज्ञापन विकी/विख्यापन व्यय	20
7–	29–अनुरक्षण	67
8–	42–अन्य व्यय	1533
9–	44–प्रशिक्षण	200
10–	45–अवकाश यात्रा व्यय	67
11–	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर कय	400
12–	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ततसम्बन्धी स्टेशनरी का कय	117
	योगः–	3591

(रूपये पैतीस लाख इक्कान्नबे हजार मात्र)

2–उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत की जा रही है । धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3–यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4–किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा। और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

5–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–00–आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत उपरउल्लिखित सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

6–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–547/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 04–08–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रहें है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– (1)/VI-1/2004–10 युवा0/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4–वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6–निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।